मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2016 को आयोजित "पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (PCRMC)" की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न विवरणी के अनुसार।

दिनांक 17.05.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (PCRMC) की बैठक में विभागवार विचार–विमर्श के उपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1. **पटना राजधानी क्षेत्र का निर्धारण** – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सह–सदस्य सचिव द्वारा विषय से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण किया गया।

1.1 निर्णय लिया गया कि पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति, पटना आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी प्रशासनिक इकाइयों में अंतर्विभागीय समन्वय करेगी। तदनुसार पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति का कार्य सम्पूर्ण पटना आयोजना क्षेत्र होगा।

1.2 प्रस्तावित महानगर योजना समिति में ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गये प्रतिनिधियों के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि चूँकि ग्राम पंचायत चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहा था, इसलिए ग्राम पंचायत का चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिनिधियों के लिए चुनाव कराना नियमानुकूल होगा। मुख्य सचिव द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव के सम्पन्न होने के उपरान्त महानगर योजना समिति का चुनाव करने का निदेश दिया गया।

2. **गृह विभाग से संबंधित मुद्दे** :–

2.1 पटना राजधानी क्षेत्र में Intelligent Traffic Management System की व्यवस्था एवं प्रबंधन गृह विभाग द्वारा किया जाएगा। आधारभूत ढाँचे से संबंधित कार्य बुडको या अन्य संबंधित एजेंसी से कराया जा सकता है। प्रबंधन गृह विभाग की जिम्मेदारी होगी।

2.2 पटना जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्र में बेल्ट्रोन के द्वारा 117 स्थानों पर CCTV कैमरा लगाया गया है, शेष शहरी क्षेत्रों में CCTV कैमरा का व्यवस्थित नेटवर्क पुलिस विभाग के माध्यम से स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

2.3 पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा पटना शहर में 97 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से 65 स्थानों की सूची उपलब्ध करायी गयी। बुडको द्वारा उन 65 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाया जा चुका है। पुलिस महानिदेशक द्वारा ट्रॉफिक लाईट हेतु Traffic Control System को Dail-100 से जोड़ने की योजना से अवगत कराया गया।

2.4 बेली रोड के फ्लाईओवर पर अधिष्ठापित ट्रॉफिक लाईट की Traffic Control System से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। ट्रॉफिक लाईट की कनेक्टिविटी हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० एवं पथ निर्माण विभाग के अभियंता से सम्पर्क करके, Traffic Control System से कनेक्टिविटी कराया जाय। ट्रॉफिक कंट्रोल रूम, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत है। इस कार्य हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भी यथोचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

2.5 प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास द्वारा अतिक्रमण रोकने एवं बिहार भवन उपविधि, 2014 के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना नगर निगम को स्थायी पुलिस बल उपलब्ध कराने एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी को दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करने की आवश्यकताओं से अवगत कराया गया।

2.6 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए Dedicated पुलिस बल उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गयी। तदनुसार जिला दंडाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक जिला नियंत्रण कक्ष में Dedicated मजिस्ट्रेट/पुलिस बल (2–8) की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसका उपयोग नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रभावी तरीके से किया जाएगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

3.1 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को उनके नाम से दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

3.2 प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुरोध पर प्रस्तावित पटना महानगर योजना समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा पटना नगर निगम एवं बिहार राज्य जल पर्षद के प्रबंध निदेशक के पद पर पूर्णकालिक पदाधिकारी की पदस्थापना की जाय।

4. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–

4.1 प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि सचिवालय क्षेत्र में Under Ground Cabling तथा कई जगहों पर Aerial Bunch लगाने का कार्य चल रहा है।

4.2 निर्णय लिया गया कि वैसे पथ, जिनके बीच बिजली के पोल एवं तार अवस्थित हैं, उनमें स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य विद्युत वितरण कंपनी/बुडको द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निधि नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निकायों द्वारा विद्युत वितरण कंपनी/बुडको को उपलब्ध करायी जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी/बुडको तदनुसार प्राक्कलन समर्पित करेगी।

4.3 व्यस्ततम इलाकों में प्राथमिकता के तौर पर अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य को बढ़ावा दिया जाय।

4.4 स्ट्रीट लाईट हेतु Dedicated Feeder की व्यवस्था तथा पेयजल पम्प स्टेशनों को Dedicated विद्युत आपूर्ति से जोड़ने के लिए योजना बनाने पर विमर्श किया गया। इस हेतु पटना नगर निगम और उर्जा विभाग संयुक्त सर्वे कराकर Dedicated Feeder के लिए सूची उपलब्ध करायेंगे।

5. पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे :–

5.1 शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथांशों में पथों की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाईट, डिवाईडर, ग्रीन बेल्ट, साईकिलिंग ट्रैक, पार्किंग आदि के प्रावधान हेतु मार्गदर्शिका निर्गत की जाय एवं Urban Road Policy में इसे शामिल किया जाय।

5.2 पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain का पक्कीकरण एवं तकनीकी रूप से जहाँ संभव हो, उन स्थानों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

5.3 बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित पम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

5.4 शहरी क्षेत्र के सड़कों के अलग–अलग स्वामित्व होने से उत्पन्न होने वाले कठिनाईयों के निराकरण के लिए पथों के स्वामित्व हेतु स्पष्ट वर्गीकरण, नीतिगत आधार पर किये जाने पर निर्णय लिया गया।

5.5 फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग स्थलों का प्रबंधन, पथ निर्माण विभाग द्वारा अथवा पटना नगर निगम द्वारा किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पटना नगर निगम प्रस्ताव तैयार करके, सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करें।

5.6 पटना राजधानी क्षेत्र में अवस्थित पथ निर्माण विभाग के पथों के किनारे, जहाँ संभव हो वहाँ पार्किंग क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार की जाय।

5.7 शनिचरा पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है। निर्देश दिया गया कि इस क्षेत्र में बरसात के समय जलजमाव की संभावित स्थिति से निपटने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा पानी की निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय एवं पटना नगर निगम द्वारा नाला की सफाई सुनिश्चित की जाय।

5.8 सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले का निर्माण कार्य मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है। निर्देश दिया गया कि इस क्षेत्र में बरसात के समय जलजमाव की संभावित स्थिति से निपटने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा पानी की निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय एवं पटना नगर निगम द्वारा नाला की सफाई सुनिश्चित की जाय।

6. <u>जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 प्रधान सचिव, जल संसाध विभाग द्वारा बताया गया कि बादशाही नाला उड़ाही कार्य हेतु संबंधित मुख्य अभियंता को राशि आवंटित कर दी गयी है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि पईन पर नक्सा स्वीकृत कराकर अपार्टमेंट का निर्माण करा लिया गया है। निर्देश दिया गया कि जितनी चौड़ाई में पईन खाली है, उसकी सफाई करा ली जाय एवं अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6.2 प्रधान सचिव, जल संसाध विभाग द्वारा बताया गया कि पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनबा नाले की सफाई करायी जा चुकी है। नाले में मात्र जलकुम्भी है, जिसे शीघ्र हटा देने का आश्वासन दिया गया।

6.3 गंगा सुरक्षा बाँध के टुटे हुए भाग एवं खाली भाग को बंद/अवरूद्ध करने एवं आने–जाने हेतु रैम्प बनाने का निर्णय लिया गया।

7. <u>पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

7.1 शहर में अवस्थित सभी पार्कों को चरणबद्ध तरीके से प्रबंधन वन प्रमंडल, पटना के द्वारा किया जाएगा। तत्काल स्थानांतरित हो चुके 06 बड़े पार्कों का प्रबंधन वन प्रमंडल, पटना द्वारा किया जा रहा है। पटना नगर निगम द्वारा पार्क के निर्माण के पश्चात, उसका हस्तांतरण वन प्रमंडल को कर दिया जाएगा। इसके रखरखाव पर आने वाले व्ययभार के संबंध में Legal openion भी ले लिया जाय।

7.2 वन प्रमंडल, पटना द्वारा कंकड़बाग जीरो प्वाइंट से योगीपुर संप हाऊस तक नये पार्क निर्माण की योजना बनायी जाय।

8. नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित मुद्दे :–

8.1 पटना नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उचित तरीके से सुनिश्चित करके, डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण, प्रतिदिन कूड़ा उठाव एवं ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जाय।

8.2 प्रस्तावित Waste to Energy Plant शीघ्र चालू हो। इसके लिए कदम उठाया जाय।

8.3 पेयजल प्रबंधन के लिए शहर में अवस्थित "पटना जल बोर्ड" को सुदृढ़ किया जाय।

8.4 शहरी गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से बहुमंजिले भवनों का निर्माण पी०पी०पी० मोड में कराया जाय।

8.5 सम्पूर्ण पटना आयोजना क्षेत्र में प्रधान मुख्य पथ एवं मुख्य पथों पर एल०ई०डी० लाईट लगाने का कार्य बुडको द्वारा किया जा रहा है, जिसे 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। इस हेतु आवश्यक निधि पटना नगर निगम द्वारा बुडको को उपलब्ध करायी जाएगी।

8.6 स्ट्रीट लाईट के प्रबंधन हेतु पटना नगर निगम द्वारा Outsourcing के माध्यम से एजेंसी लगायी जाय। इस हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में निविदा आदि प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

8.7 भवन उपविधि का कड़ाई से पालन किया जाय ताकि अवैध निर्माण नहीं हो।

8.8 शहर में नागरिक सुविधा के अंतर्गत महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और बताया गया कि इस संबंध में सुलभ इंटरनेशनल से सहयोग लेने पर विचार किया जाय।

9. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित मुद्दे :–

सार्वजनिक दीवारों पर राज्य की विरासत पर आधारित चित्रकारी को बढ़ावा दिया जाय।

10. पर्यटन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

पर्यटन महत्व के स्थानों के भ्रमण हेतु सिटी बस की समुचित व्यवस्था की जाय।

11. परिवहन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

11.1 सिटी बसों की संख्या में वृद्धि की जाय। विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षित बसों की संख्या बढ़ायी जाय।

11.2 शहर में 15 वर्ष से अधिक पुराने गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

11.3 महाविद्यालय को जोड़ने वाले मार्गो पर सिटी बस/महिला आरक्षित बसों की व्यवस्था करने पर निर्णय लिया गया।

11.4 बसों पर विज्ञापन से आय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

12. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

12.1 शहरी क्षेत्र में अवस्थित गैर मजरूआ, खास, आम/कैसरे हिन्द भूमि को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/आयोजना प्राधिकार को हस्तांतरण करने पर विचार करना।

12.2 राजधानी क्षेत्र में गृह विहीन भूमिहीन परिवारों को EWS/LIG आवास बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था।

13. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

13.1 आयोजना क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था।

13.2 आयोजना क्षेत्र में अवस्थित सभी ग्राम पंचायतों में पाईप जलापूर्ति की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करना।

14. भवन निर्माण विभाग :-

14.1 भवन निर्माण विभाग की वैसे अतिक्रमित/भूमि, जिस पर अतिक्रमण हटाना संभव नहीं हो, उस पर EWS/LIG मल्टीस्टोरी आवास बनाने हेतु सहमति।

14.2 EWS/LIG हेतु भूमि उपलब्ध कराना।

1.3 शहर में अवस्थित Round about के सौंदर्यीकरण कार्य की योजना बनायी जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

31/3/16

(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–01/2016 3457 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/6/16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

31/5/2016

(प्रधान सचिव),
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–01/2016 3457 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/6/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–01/2016 3457 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 2/6/16

प्रतिलिपि :– संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/2016

प्रधान सचिव

दिनांक– 17.05.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (PCRMC) के बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र० सं०	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.			
2.	चैतन्य प्रसाद	न. वि. नि.	[signature]
3.	आमिर सुबहानी	प्रधान सचिव गृह विभाग	[signature] 17 मई 2016
4.	सुजाता चतुर्वेदी प्रधान सचिव	परिवहन	[signature] 17/5/16
5.	प्रत्यय अमृत	ऊर्जा	[signature] 17/5
6.	रवि मित्तल	PF वित्त	[signature]
7.	आनन्द किशोर	आयुक्त, पटना प्रमंडल	[signature] 17/5/16
8.	पंकज कुमार	सचिव, पथ	[signature] 17/5/2016
9.	गोपाल सिंह	DFO, Patna	[signature] 17/5
10.	अमरेन्द्र प्रसाद सिंह	M.D. - BUIDCO and Housing Board.	[signature] 17.5.16
11.	कपिल अशोक शीर्षत	PMC & MD, BRJP	[signature] 17/5/16
12.	संजय कान्त	अपर जिला दंडाधिकारी पटना	[signature] 17/5
13.	वीरेन्द्र कुमार मिश्र	संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	[signature] 17/5/16
14.	उमेश कुमार	संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग	[signature] 17.5.16
16.	सतीश चन्द्र मिश्र	मुख्य अभियंता लोक स्वा. अभि. विभाग	[signature] 17.5.16
17.	भवानी नन्दन	मुख्य अभियंता (द.) प. नि. नि. पटना	[signature] 17.5.16
18.	अरविन्द कुमार	मुख्य अभियंता BRJP	[signature]
19.			
20.			

क्र० सं०	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			